

कार्यालय— प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, कोणडागांव, जिला—कोणडागांव (छ0ग0) :

// संशोधित विविध आदेश //

क्रमांक 44 / एक-11-01/2016,

कोणडागांव, दिनांक— 11.11.2024

मैं उत्तरा कुमार कश्यप, प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, कोणडागांव छ.ग। व्यवहार न्यायालय अधिनियम 1956 की धारा-15 एवं दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा-194 में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए व्यवहार जिला एवं सत्र खण्ड कोणडागांव में पदरथ न्यायिक अधिकारियों के मध्य प्रसारित पूर्व कार्य विभाजन के विविध आदेश क्रमांक 14/एक-11-01/2016 कोणडागांव दिनांक 14.08.2023 के सरल क्रमांक 03 के पश्चात् 03 (क) प्रतिस्थापित करता हूँ :—

क्र0	न्यायालय का नाम	कार्यक्षेत्र	प्रकरणों का प्रकार	
03 (क)	जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश, नारायणपुर (छ0ग0)	समस्त राजस्व जिला नारायणपुर	01— प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, कोणडागांव द्वारा अंतरित किये जाने वाले समस्त सिविल एवं दांडिक मामले। 02— प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, कोणडागांव द्वारा सौंपे गये अन्य कार्य।	

1. व्यवहार जिला एवं सत्र खण्ड कोणडागांव में प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश तथा जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीशों के अवकाश अवधि अथवा अन्य प्रकार की अनुपस्थिति में उनके न्यायालयों में लंबित प्रकरण एवं नवीन अत्यावश्यक आवेदन पत्रों का निराकरण और संपादन नीचे दिये गये तालिका के अनुसार स्तंभ क्र0 01 के न्यायाधीश के अवकाश, शासकीय दौरे, मुख्यालय से बाहर रहने या अन्य किसी भी कार्य से अनुपस्थित रहने की स्थिति में स्तंभ क्र0 02 के न्यायालय के न्यायाधीश एवं उनके अनुपस्थित रहने पर स्तंभ क्र0 03 के न्यायालय के न्यायाधीश उनके अनुपस्थित रहने पर स्तंभ क्र0 04 के न्यायालय के न्यायाधीश के द्वारा किया जावेगा :—

तालिका

क्र0	न्यायालय का नाम			
	स्तंभ क्र0 01	स्तंभ क्र0 02	स्तंभ क्र0 03	स्तंभ क्र0 04
01	प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, कोणडागांव	जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश, कोणडागांव	जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश FTSC (POCSO), कोणडागांव	जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश, नारायणपुर
02	जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश, कोणडागांव	जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश FTSC (POCSO), कोणडागांव	प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, कोणडागांव	जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश, नारायणपुर
03	जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश FTSC (POCSO), कोणडागांव	जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश, कोणडागांव	प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, कोणडागांव	जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश, नारायणपुर
04	जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश, नारायणपुर	जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश, कोणडागांव	जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश FTSC (POCSO), कोणडागांव	प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, कोणडागांव

टीप:- उपरोक्त प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश तथा जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीशों की अनुपस्थिति की स्थिति में कार्य व्यवस्था में उनके न्यायालय से संबंधित त्वरित सुनवाई हेतु प्रस्तुत राजस्व जिला कोणडागांव से संबंधित अत्यावश्यक आवेदन पत्रों/कार्य का निराकरण प्रथम व्यवहार न्यायाधीश वरिष्ठ श्रेणी/मुन्न्यामजिओ कोणडागांव तथा राजस्व जिला नारायणपुर से संबंधित अत्यावश्यक आवेदन पत्रों/कार्य का निराकरण व्यवहार न्यायाधीश वरिष्ठ श्रेणी/मुन्न्यामजिओ नारायणपुर के द्वारा किया जावेगा।

यह आदेश तत्काल प्रभावशील होगा।

(Date) 11.11.2024

प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश,
कोणडागांव, जिला—कोणडागांव (छ०ग०)
कोणडागांव, दिनांक— ॥ .11.2024

पृ० क्रमांक २४२८ एक—११—०१/२०१६,

प्रतिलिपि:-

1. जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश FTSC (POCSO), कोणडागांव की ओर सूचनार्थ एवं पालनार्थ।
2. जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश, कोणडागांव की ओर सूचनार्थ एवं पालनार्थ।
3. जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश, नारायणपुर की ओर सूचनार्थ एवं पालनार्थ।
4. प्रथम व्यवहार न्यायाधीश वरिष्ठ श्रेणी, कोणडागांव की ओर सूचनार्थ एवं पालनार्थ।
5. व्यवहार न्यायाधीश वरिष्ठ श्रेणी, नारायणपुर की ओर सूचनार्थ एवं पालनार्थ।
6. द्वितीय व्यवहार न्यायाधीश वरिष्ठ श्रेणी, कोणडागांव की ओर सूचनार्थ एवं पालनार्थ।
7. व्यवहार न्यायाधीश कनिष्ठ श्रेणी, केशकाल की ओर सूचनार्थ एवं पालनार्थ।
8. सचिव, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, कोणडागांव की ओर सूचनार्थ एवं पालनार्थ।
9. अध्यक्ष, जिला अधिवक्ता संघ, कोणडागांव/नारायणपुर की ओर सूचनार्थ एवं पालनार्थ।
10. प्रस्तुतकार, न्याया—प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, कोणडागांव की ओर सूचनार्थ एवं पालनार्थ।
11. रजिस्ट्रार, सेन्ट्रल फाईलिंग अनुभाग, कोणडागांव/नारायणपुर की ओर सूचनार्थ एवं पालनार्थ।
12. सांख्यिकीय लेखक, कार्या—प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, कोणडागांव की ओर सूचनार्थ एवं पालनार्थ प्रेषित।

(Date) 11.11.2024

प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश,
कोणडागांव, जिला—कोणडागांव (छ०ग०)